REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930
No. 131]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

का.आ. 218(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 25 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"25.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 कि.मी. से 136.00 कि.मी. तक को छोड़कर (कोलकाता से खड़गपुर तक)], सं. 31 [(447.000 कि.मी. से 470.000	पश्चिमी बंगाल सरकार"
	कि.मी. और 476.150 कि.मी, से 566.00 कि.मी. तक को छोड़कर) (डालकोला से सिलीगुड़ी के पास शिव मंदिर तक)], सं. 31 ग	
	[228.00 कि.मी. (सालसालाबारी) से 254.500 कि.मी. (सनकोश) तक को छोड़कर], सं. 32, सं. 60 (खड़गपुर से रानीगंज तक का भाग और	
	राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उसमें जंक्शन से प्रारम्भ होने वाला रानीगंज के पास पांडावेसवारा-डुबराजपुर-सूयुरी को जोड़ने वाला और मोरेग्राम के पास	
	राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर इसमें जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 80 और 81 जो पश्चिमी बंगाल, राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग	
	सं. 35, सं. 55, सं. 60क और सं. 117 (21.80 कि.मी. से 137 कि.मी. जोका और षखाली तक)	

[फा. सं. एन. एच.-14012/9/2004-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 2298(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

S.O. 218(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :---

(1)	(2)	(3)
"25.	National Highways No. 6 [excluding from Km 0.0 to	State Government of
	Km 136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No. 31	West Bengal"
	[excluding from Km 447.000 to Km 470.000 and	
	from Km 476.150 to Km 566.00 (Dalkola to Shiv	
	Mandir near Siliguri)], No. 31C [excluding from	
	Km 228.00 (Salsalabari) to Km 254.500 (Sankosh)],	
	No. 32, No. 60 [portion from Kharagpur to	
	Raniganj and the highway starting from its junction	
	with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-	
	Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with	
	NH 34 near Moregram], No. 80 and No. 81 as are	
	situated within the State of West Bengal and	
	National Highways No. 35, No. 55, No. 60A and	
	No. 117 [from Km 0.0 to Km 7.16 (beginning of	
	Kona Expressway) and Km 21.80 to Km 137 from	
	Joka to Bakkhali].	

[F. No. NH-14012/9/2004-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2298(E), dated the 26th September, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

का.आ. 219(अ).---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 31 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसचना संख्या का.आ. 116(अ), तारीख 31 जनवरी, 2006 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. एन. एच.-14012/9/2004-भी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

S.O. 219(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 116(E), dated 31st January, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st January, 2006, with immediate effect.

[F. No. NH-14012/9/2004-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.